पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 329/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 23.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

1.थाना – अहरौला:- पिकअप द्वारा पुलिस कर्मियों को घायल व फायरिंग करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का पूर्व का विवरण- दिनांक 18/10/2024 को वादी मुकदमा का0 सौरभ राय थाना अहरौला जनपद आजमगढ मय हमराह का0 परीक्षित दूबे, का0 पंकज कुमार यादव व हो0गा0 रामप्रवेश द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 17.10.2024 को समय लगभग 20.30 बजे प्राइवेट मोटरसाकिल नम्बर UP63AR9631 से थाना क्षेत्र से बाद देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था मेला ड्यूटी शाहपुर से वापस थाना आते समय कुछ अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से एक राय होकर पिकप वाहन संख्या UP50ET4324 को चढा देना व जान से मारने की नियत से गोली चलाया गया जिसमें वादी मुकदमा बाल बाल बच जाने पर अभियुक्तों द्वारा गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दिया गया जिसके संबंध में सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा-109/115(2)/121(1)/132/324(4)/352/351(2)/3(5) बीएनएस बनाम 1.इरसाद पुत्र इरफान निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. नफीस पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व पिकप पर मौजूद 7-8 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनाँक 23.10.2024 को थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार दूबे पुत्र अरून कुमार निवासी बहराकोठी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 46 वर्ष को समय करीब 11.35 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

2.थाना- बरदह:- दहेज हत्या में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 20.10.24 को वादी द्वारा थाने पर सूचना दिया गया कि दिनांक 17.10.24 को वादी के पुत्री की हत्या उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करते हुए कर दिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 333/24 धारा 85, 80 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 1. संदीप यादव पुत्र मैनेजर निवासी मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. मैनेजर यादव पुत्र अज्ञात निवासी मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3. श्यामकला पत्नी मैनेजर निवासी मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 4. प्रदीप यादव पुत्र मैनेजर निवासी मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 5. राजीत यादव पुत्र मैनेजर निवासी मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 6. खुश्बु यादव पुत्री मैनेजर निवासी मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 7. आकाश यादव पुत्र विजेन्द्र यादव निवासी मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 23.10.24 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा अभियुक्तों 1. मैनेजर यादव पुत्र सुखराज निवासी ग्राम मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2. संदीप यादव पुत्र मैनेजर निवासी ग्राम मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3. श्यामकला देवी पत्नी मैनेजर निवासी ग्राम मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 4. खुश्बु पुत्री मैनेजर निवासी ग्राम मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को मैनपुर नहर पुलिया से समय 08.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

3.थाना- कंधरापुरः- गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

वादी रूद्रभान पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर अनुमोदन शुदा प्राप्त गैंगचार्ट के आधार पर दिनांक 22.10.2024 को मु0अ0सं0 302/2024 धारा 2(b)(i)/3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 बनाम 1. राजेश तिवारी पुत्र स्व0 सभाकर तिवारी निवासी ग्राम जियासड़ थाना मेहनगर आजमगढ़(**गैंग लीडर)** 2.विजय कन्नौजिया पुत्र छोटे लाल कन्नौजिया निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ 3..कैलाश यादव पुत्र श्यामजीत यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ 4.पवन कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम भगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर 5. संजय यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव निवासी कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ 6. रोहित गुप्ता पुत्र भरतलाल गुप्ता निवासी वार्ड नम्बर 2 अम्बेडकरनगर कस्वा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 7.हरिवंश यादव पुत्र सुखई यादव निवासी दिवाकरपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर 8.भीम यादव पुत्र स्व0 मोती यादव निवासी खनियरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ 9.अशोक जायसवार पुत्र हरिनाथ जायसवार निवासी ग्राम विद्रावन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर 10 .पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 23.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. संजय यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 4.30 बजे तथा 2. अभियुक्त कैलाश यादव पुत्र श्यामजीत यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के घर से समय 05.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराहियान के द्वारा अभियुक्त 1. पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढिया जनपद जौनपुर उम्र 30 वर्ष को उसके घर से समय करीब 04.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

A. अभियुक्त संजय यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव निवासी ग्राम कुम्भ मठिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	CS/FR	थाना/जनपद
1	302/24	2(बी)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	-	कन्धरापुर
2	46/24	419/420/467/468/471/120बी/34 भादवि	CS	कन्धरापुर

B. आपराधिक इतिहास- कैलाश यादव पुत्र श्यामजीत यादव निवासी ग्राम जैतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	CS/FR	थाना/जनपद
1	302/24	2(बी)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	-	कन्धरापुर
2	46/24	419/420/467/468/471/120बी/34 भादवि	CS	कन्धरापुर

C. आपराधिक इतिहास- पिन्टू सेठ पुत्र प्रेमचन्द सेठ निवासी ग्राम गुतवन थाना नेवढिया जनपद जौनपुर

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	CS/FR	थाना/जनपद
1	302/24	2(बी)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	-	कन्धरापुर
2	46/24	419/420/467/468/471/120बी/34 भादवि	CS	कन्धरापुर

थाना- कोतवाली:- अश्लील फोटो,वीडियो वायरल करने वाला दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 06.10.2024 को वादिनी थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 07/07/2024 को वादिनी का रिस्तेदार नीरज पुत्र लालजीत साकिन सोफीपुर चन्दाभारी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ जो वादिनी के घर आया था के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। इस बात की जानकारी वादिनी को नहीं थी। दिनांक 05/10/2024 को इंस्ट्राग्राम पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री की गन्दी- गन्दी फोटो लगाया गया जिसके बारे में पूँछने पर अभियुक्त द्वारा धमकी देते हुए बोला गया कि मैं तुम्हारी पुत्री से साथ सब कुछ किया हूँ और ज्यादा कुछ करोगी तो उसकी पूरी वीडियो वायरल कर दूंगा। डरवश वादिनी कुछ नहीं बोली लेकिन आज दिनांक 06/10/20204 को सुबह 10.43 पर वादिनी के मोबाइल नम्बर पर अभियुक्त द्वारा गंदी-गंदी फोटो व वीडियो भेजकर धमकी दिया गया कि सम्भल जाओ नहीं तो तुम्हारी पुत्री की पूरी जिन्दगी बर्बाद कर दूँगा । लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0558/24 धारा 65(1),351(2), 352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

आज दिनांक 23.10.2024 को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नीरज पुत्र लालजीत नि. सोफीपुर चन्दाभारी थाना निजामबाद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को एक अदद मोबाइल फोन के साथ प्राइवेट बस अड्डा आजमगढ़ से समय 11.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना-रानी की सराय:- सामूहिक दुष्कर्म में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 20.10.2024 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थनापत्र दिया गया कि वह अहरौला के एक स्कूल मे प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत थी जहाँ स्कूल के सेक्रिटरी अतहर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी का शरीरिक शोषण किया जा रहा था तथा बाद में अतहर की पत्नी व अन्य द्वारा स्कूल में आकर वादिनी को गाली गलौज देते हुए स्कूल से निकलवा दिया गया, तथा दिनांक 22/07/24 की रात्रि 02.00 बजे पुनः अतहर के घर वाले वादिनी के आवास पर आकर वादिनी को जान से मारने की योजना बनाने लगे किसी तरह वादिनी वहाँ से भाग निकली तभी रास्ते में अजहर के परिचित 4 - 5 लड़कों द्वारा वादिनी को पकड़ लिया गया जहाँ अतहर व उसके एक अन्य साथी द्वारा वादिनी के साथ गलत काम किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 320/24 धारा 70(1)/352/351(2)/61(2) बी.एन.एस. बनाम 1. अजहर अल्वी पुत्र मो0 कलाम निवासी ग्राम निजामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ 2. अतहर अल्वी पुत्र मो0 कलाम निवासी ग्राम निजामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ 3. रूकसाना पत्नी अतहर अल्वी निवासी ग्राम निजामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ 4. इंसा पुत्री अतहर अली निवासी ग्राम निजामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ व 04 से 05 अभियुक्त नाम पता अज्ञात के बिरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 23.10.2024 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अतहर अल्वी पुत्र मो0 कलाम निवासी ग्राम निजामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र 44 वर्ष को रोवा मोड़ से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री हेमराज मीना के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ को भय एवं अपराध मुक्त बनाये जाने के दृष्टिगत, अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 23.10.2024 को वारण्टियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों से कुल 25 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 23.10.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ को भय एवं अपराध मुक्त बनाये जाने के दृष्टिगत मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गैरजमानतीय वारण्ट में नामित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस बल के अधिकारी/कर्मचारिगणों द्वारा अभियुक्तों के घरों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ दबिश दिया गया जिसके क्रम में जनपद से कुल 25 वारण्टियों क्रमशः थाना- जीयनपुर से 02, थाना महराजगंज से 06, थाना रौनापार से 05, थाना बिलरियागंज से 04, थाना फूलपुर से 06, थाना पवई से 01 तथा थाना दीदारगंज से 01 वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।